अति महत्वपूर्ण

संख्या-70/2015/760/78-2-2015-65आई.टी./2013

प्रेषक,

महेन्द्र प्रसाद भारती,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी,
लखनऊ।

आई.टी. एवं इले. अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 26 जून, 2015

विषय:- इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ESDM) के क्षेत्र में ट्रेनिंग पार्टनर्स के चयन प्रक्रिया के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-यूपीएलसी:ईएसडीएम:जीओआई:2014-15 दिनांक 15 मई, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। जिसमें आपके द्वारा निम्निलिखित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन प्राप्त करने की अपेक्षा की गई थी:-

(क) Can state implementing agency select the training vendors of sector councils without inviting tender? If so then what would be the ratio of number of students divided among training vendors of TSSC and ESSCI.

(ख) नाइलेट, चूँकि भारत सरकार की संस्था है, अत: उसे तो तत्कालीन प्रमुख सचिव के निर्देशानुसार 7500 लाभार्थियों का लक्ष्य दिया जा चुका है। शेष 02 संस्थाओं को यदि लक्ष्य दिया जाना है, तो क्या उसे भी Fixed ratio में यानि कि TSSC को 4000 & ESSCI को 3500 में बॉट दिया जाये या इसके लिए Presentation या पहले आओ पहले पाओ का आधार बनाया जाए।

(ग) योजनान्तर्गत क्या जनपदवार भी लक्ष्य का मात्राकरण किया जाए अथवा KIA की सुविधानुसार ट्रेनिंग करवाई जाए।

(घ) भारत सरकार द्वारा निर्गत की गयी गाइडलाइन्स में लाभार्थियों के प्रशिक्षण हेतु आरक्षण में यदि पर्याप्त संख्या में ST छात्र नहीं हो पाते है, तो उनके स्थान पर खाली हुई सीटों पर क्या SC छात्रों को प्रथम वरीयता दी जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नलिखित पर बिन्दुवार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें:-

बिन्दु-(क) के संबंध में गाइडलाइन्स में एस.आई.ए., के.आई.ए. व टी.पी. के दायित्व पूर्णत: स्पष्ट है उसी के अनुसार कार्यवाही करें।

बिन्दु-(ख) एवं **(ग)** के संबंध में के.आई.ए. से विचार-विमर्श कर उनकी क्षमता के अनुसार जनपदवार लक्ष्य बांट दिया जाए। यह कार्य स्टेट इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सी द्वारा किया जाए।

बिन्दु-(घ) के संबंध में यदि भारत सरकार द्वारा निर्गत की गई गाइडलाइन्स स्पष्ट न हो तो राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार कार्यवाही कराते हुए समय सीमा में लक्ष्य की प्राप्ति भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।